भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 195

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 21 जुलाई, 2025

30 आषाढ़ 1947 (शक)

दिल्ली में ऐतिहासिक स्थलों का सांस्कृतिक जीर्णोद्धार और विरासत संरक्षण

195. श्री प्रवीन खंडेलवाल:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के समन्वय से चांदनी चौक और इसके आस-पास के क्षेत्रों सहित दिल्ली में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के सांस्कृतिक जीर्णोद्धार और विरासत संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जीर्णोद्धार की संभावना, समय-सीमा और बजटीय आवंटनों सहित वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सांस्कृतिक एकता और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जीर्णोद्धार प्रक्रिया के भाग के रूप में स्थानीय समुदायों, शहरी योजनाकारों और विरासत संरक्षणवादियों से परामर्श किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पुरानी दिल्ली में पर्यटन विकास और शहरी पुनरूद्धार के साथ विरासत जीर्णोद्धार को एकीकृत करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना या विजन दस्तावेज तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा ऐसे जीर्णोद्धार प्रयासों से सार्वजनिक पहुंच, सुविधाओं और जागरूकता में वृद्धि करते हुए स्थलों के वास्तुशिल्पीय स्वरूप को संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) जी हॉ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि में अवस्थित निम्नलिखित स्मारकों का संरक्षण और जीर्णोद्धार किया है:-

(i) शालीमार बाग।

(ii) महरौली पुरातत्वीय उद्यान।

(ख): वर्तमान में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर अवस्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्मारकों पर कोई चालू परियोजना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य स्मारक के परिरक्षण की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के नियम और शर्तों के अधीन किया जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय संरक्षित स्मारक के मरम्मत और रखरखाव का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों/अधिकारियों के सघन पर्यवेक्षण के अधीन निष्पादित किया जाता है।

(ड.): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों/स्थलों की प्रमाणिकता और अखंडता को बनाए रखते हुए, उनके संरक्षण का कार्य आरंभ किया है और परंपरा के अनुसार स्मारक के भीतर सार्वजनिक सुविधा का निर्माण करते हुए, इससे इन स्मारकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

*****